प्रकाशन हेतु अनुमोदित

कैदी की अपील

क्रमांक 2376 नाम बुधराम पिता का नाम मरहूराम जातिः उरांव, साकिन कोदोवारा थाना: सन्ना, जिला: रायगढ़ (छ ग.) निवास स्थान जिला रायगढ (मध्यप्रदेश) आयु 30 वर्ष को दिनांक 25/08/1990 को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय, रायगढ (म. प्र.) के द्वारा स. प्र. क्र.- 3/89 एवं स. प्र. क्र.- 5/89 में पारित दण्डादेश आजीवन कारावास कैदी को यह समझाया जाता है कि यदि वह कहता है या चाहता है कि विधिक अभ्यासकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व करना चाहता है तो प्रकरण में अपीलीय अदालत तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि विधिक अभ्यासकर्ता सात दिवस के भीतर अपील में उपस्थित न हो जाए। यदि विधिक अभ्यासकर्ता सात दिवस के भीतर उपस्थित नहीं होता है तो हो सकता है कि उसकी सुनवाई न हो। यदि कैदी यह कहता है कि वह विधिक अभ्यासकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहता है, तब न्यायालय मामले को तुरन्त आगे बढ़ा सकता है तथा किसी भी विधिक अभ्यासकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के लिए बाध्य नहीं होगा, जो कि उपस्थित होना चाहता हैं।

1. निर्णय की प्रति के लिए आवेदन की तिथि 25/08/1990 .
2. प्रति प्राप्त होने की तिथि 04/09/1990 .
3. अपील भेजने की तिथि 05/09/1990 .
4. क्या कैदी प्रतिनिधित्व करना चाहता है या नहीं- हां/नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संख्या क्रमांक 2376 नाम बुधराम पिता का नाम मरहूराम केंद्रीय जेल में निरुद्ध जेल रायपुर (म. प्र.) संख्या क्रमांक 857/ऑक्टागन दिनांक 05/09/1990 198 माननीय अतिरिक्त पंजीयक महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को अग्रेषित किया गया मामले में पारित आदेश की प्रति एकत्रित कर सक्षम न्यायालय को प्रेषित किया जाए।

अधीक्षक

सी. जे. एम. के कार्यालय में प्राप्ति की तारीख .

अभिलेख वापस प्राप्त होने का दिनांक .

अपीलीय अदालत की अपील ज्ञापन .

संख्या .दिनांक . 198 . को अग्रेषित किया गया .

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील संख्या 990/1990

बुधराम

-बनाम-

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय हेतु विचारार्थ

सही /-

श्री फकरुद्दीन

न्यायाधीश

सही/-

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

दिनांक 16/08/2005 के लिए प्रकाशित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील संख्या 990/1990

बुधराम

-बनाम-

छत्तीसगढ़ राज्य

न्यायालय: माननीय श्री फखरुद्दीन और

माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, जे.जे.

अपीलकर्ता श्रीमती निशा चतुर्वेदी, अधिवक्ता

राज्य के ओर से श्री अखिल मिश्रा, पेनल अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(16.08.2005 को पारित)

प्रति दिलीप रावसाहेब देशमुख, जे.

1. यह अपील श्री दिनेश चंद्र दुबे, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा सत्र विचारण प्रकरण क्रमांक 5/89 में पारित निर्णय दिनांक 25 अगस्त 1990 के विरुद्ध है, जिसके अतंर्गत अपीलकर्ता द्वारा धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया था। दिनांक 30/08/1988 को ग्राम कोदोपारा में बुधनी बाई की हत्या कारीत करने के जुर्म में अपीलार्थी को आजीवन कारावास से दण्डादेश पारित की गई।
2. अभियोजन पक्ष द्वारा घटना का संक्षेप में यह है कि खुयूराम जीविकोपार्जन के लिए पंजाब गया था दिनांक 29/08/1988 को उसके माता-पिता ने पंजाब से उसके लौटने की खुशी में एक भोज का आयोजन किया था जिसमें अपीलकर्ता बुधराम को भी आमंत्रित किया गया था, भोजन के साथ शराब का सेवन भी किया गया था। शाम को 4.00 बजे अपीलकर्ता बुधराम ने सभी को भोज कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। खुयूराम की मां बुधनी बाई भी अपीलकर्ता के घर गई थी। कार्यक्रम के बाद अंगनूराम, करियो बाई और संतोष के साथ अपीलकर्ता और खुयूराम को भी पार्टी में बुलाया गया। घर लौटते समय खुयूराम से बातचीत के दौरान अपीलकर्ता नाराज हो गया और उसने खुयूराम पर 2-3 मुक्के से वार कर दिया और हाथापाई हुई जिसमें खुयूराम ने अपीलकर्ता को जमीन पर पटक दिया, विजय और अंगनु ने बीच बचाओ कर अपीलकर्ता और खुयूराम को अलग किया और अपीलकर्ता को बुधना उरांव नामक व्यक्ति के घर के अंदर बंद कर दिया कुछ समय बाद अपीलकर्ता किसी तरह दरवाजा तोड़ने में कामयाब रहा और बुधना उरांव के घर से कुल्हाड़ी उठाकर खुयूराम का पीछा किया लेकिन खुयूराम भाग गया। खुयूराम की मां बुधनी बाई को अकेला पाकर अपीलकर्ता ने टंगिया से बुधनी बाई के पश्चकपाल क्षेत्र में और गर्दन के पिछले हिस्से पर दो बार वार किया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कुछ समय के बाद

अपीलकर्ता संतोष के पास गया और उससे खुयूराम का पता पूछा जब संतोष ने अपीलकर्ता को अपने घर वापस जाने के लिए कहा, तो अपीलकर्ता ने संतोष की गर्दन पर टांगिया से वार किया, जिससे वह गिर गया और कुछ ही समय के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

3. खुयूराम ने पुलिस स्टेशन सन्ना में प्रथम सूचना रिपोर्ट जो प्र. पी. 17 के अधीन दर्ज कराई। बुधनी बाई के शव का पंचनामा जो प्र. पी. 6 के अंतर्गत सहायक उपनिरीक्षक एस. एस. ध्रुव अ. स. 16 द्वारा तैयार किया गया। डॉ. पी.एल. गुप्ता ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, अ. स. 12 ने शव परीक्षण किया और पश्चकपाल क्षेत्र के पीछे 3" x 1" x ½" के मध्य रेखा में एक चीरा हुआ घाव पाया, जिसके अंदर बड़े खून के थक्के थे, मार्जिन सामान्य थे। ओसीसीपिटल हड्डी के नीचे टुकड़े-टुकड़े हो गए थे। गर्दन के पीछे उपरोक्त घाव से सिर्फ आधा इंच नीचे एक और चीरा हुआ घाव था जिसका आकार 3½" x ½" x ½" था, जिसके गहराई सामान्य थे। इन घावों के नीचे के सभी उप-ऊतक और मांसपेशियाँ कटी हुई थीं। बड़े रक्त के थक्के मौजूद थे और गहराई नियमित थे। उन्होंने कहा कि ये सभी चोटें गंभीर थीं चोटों के निशान एवं प्रकृति में गंभीरता हैं, मृत्यु से पहले और तत्काल मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त और जांच के 48 घंटे के भीतर एक तेज और भारी वस्तु के कारण हुआ था। उनकी राय में, मौत रक्तस्राव और सदमे के कारण हुई थी, जिससे बेहोशी आई और यह हत्या की प्रकृति का था।
4. जांच के दौरान, ज्ञापन जो प्रदर्श पी.10 के आधार में अपीलकर्ता से प्रदर्श पी. 11 के अनुसार एक टंगिया जब्त किया गया। प्रदर्श पी 12 के अनुसार अपीलकर्ता से एक पीला पॉलिएस्टर, खून जैसे दागों वाला एक सैंडो बनियान (बनियान) और खून जैसे दागों वाली एक लुंगी जब्त की गई। इन वस्तुओं को रासायनिक जांच के लिए रासायनिक परीक्षक के पास भेजा गया, जिन्होंने प्रदर्श पी 19 के अनुसार टंगिया के साथ-साथ अपीलकर्ता के कपड़ों पर भी खून पाया। इन वस्तुओं को जांच के लिए भारत सरकार के सीरोलॉजिस्ट और रासायनिक परीक्षक के पास भी भेजा गया किंतु, इन वस्तुओं पर खून के धब्बे विघटित पाए गए और उनकी उत्पत्ति का पता नहीं लगाया जा सका।
5. जांच की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अपीलकर्ता पर धारा 302 भ.द.स. 1860 के अधीन मुकदमा चलाया गया। अपीलकर्ता ने मुकदमे का दावा किया, बचाव में खुद को निर्दोष बताया और कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। विचरण न्यायालय के न्यायाधीश ने खुयूराम अ. स. 5, विवियामती अ. स.6, जेठूराम अ. स.7 एवं डॉ. पी.एल. गुप्ता अ. स.12 के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ता को बुधनी बाई की हत्या करने का दोषी ठहराया।
6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ता की दण्डादेश को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी है कि प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की गवाही विश्वसनीय नहीं है एवं धारा 302 भ.द.स. 1860 के अंतर्गत अपीलकर्ता के अपराध को साबित नहीं करती है, दूसरी ओर शासकीय अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया है।
7. हमने प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है और निचली अदालत के रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया है। खुयूराम अ. स. 5 मृतक बुधनी बाई का बेटा है उसने बयान दिया है कि पंजाब से लौटने पर वह अपीलकर्ता के साथ उसके घर गया था, जहां अपीलकर्ता ने उसे शराब पिलाई थी। शराब पीने के बाद जब वे लौट रहे थे, तब अपीलकर्ता अचानक नाराज हो गया और उसने उसे मुक्कों से तीन बार मारा इस दौरान उसकी मां बुधनी बाई उनके आगे जा रही थी। इस दौरान हाथापाई हुई, जिसमें खुयूराम और बुधराम दोनों गिर गए। जेठू लोहार और बुधना ने अपीलकर्ता को बीच बचाओ कर अलग किया और उसे बुधना उरांव के घर में बंद कर दिया। जब खुयूराम अ. स. 5 और उसकी मां घर की ओर जा रहे थे तब अपीलकर्ता अचानक कुल्हाड़ी लेकर बुधना के घर से निकला, जिस पर अंगनु ने खुयूराम को भाग जाने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के लिए कहा। दोनों भाई अलग-अलग दिशाओं में भागने लगे, तभी अपीलकर्ता ने पीछे से बुधनी बाई की गर्दन पर टंगिया से वार किया जिससे बुधनी गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जहां तक बुधनी बाई पर अपीलकर्ता द्वारा कुल्हाड़ी से हमला करने का सवाल है, खुयूराम की गवाही जिरह में पूरी तरह से असंबद्ध है। खुयूराम अ. स. 5 ने भी 31/08/1998 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट अ. स.17 में उपर्युक्त तथ्यों का उल्लेख किया था। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि खुयूराम मृतक का पुत्र है और इसलिए एक हितबद्ध साक्ष्य है और उसकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह कानून में काफी अच्छी तरह से स्थापित है कि मृतक या घायल से संबंधित गवाह के साक्ष्य को इस तथ्य के बावजूद स्वचालित रूप से खारिज नहीं किया जाना चाहिए। यह तथ्यपूर्ण, विश्वसनीय और भरोसेमंद है *आर. प्रकाश बनाम कर्नाटक राज्य* ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 1812 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित इस सिद्धांत को लागू करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि खुयूराम की गवाही विश्वास पैदा करती है, घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति स्वाभाविक है क्योंकि वह अपीलकर्ता के साथ उसके घर पर शराब पीने के बाद लौट रहा था इसलिए, खुयूराम अ. स. 5 की विश्वसनीय गवाही को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वह एक हितबद्ध गवाह है।

8. विवियामती अ. स. 6 ने यह भी गवाही दी है कि अपीलकर्ता को कुल्हाड़ी लेकर भागते हुए देखकर वह डर गई और अपने घर के अंदर छिप गई और कुछ देर बाद उसने देखा कि बुधनी बाई इमली के पेड़ के पास मृत पड़ी थी। यह सुझाव पूरी तरह से बचाव पक्ष की ओर से उसके प्रति परीक्षण में आया है। जेठूराम अ. स. 7 ने यह भी गवाही दी है कि खुयूराम और बुधराम नशे में थे और उनके बीच हाथापाई हुई थी उसने बुधना के साथ मिलकर अपीलकर्ता को अलग किया और बुधना के घर में बंद कर दिया, कुछ देर बाद उसने देखा कि बुधनी बाई का शव उसके घर से कुछ दूरी पर पड़ा है, जिसके सिर के पिछले हिस्से में चोट है और चोट से खून बह रहा है। सखाराम अ. स. 8 ने यह भी बयान दिया है कि मरहूराम की बेटी विवियामती ने उसे बताया था कि बुधराम ने टंगिया से हमला करके बुधनी बाई की हत्या कर दी है। इन साक्ष्यों के प्रति परीक्षण में ऊपर बताए गए तथ्यों का खंडन नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. भोला प्रसाद गुप्ता अ. स. 13 ने भी यह बयान दिया है कि उसने आरोपी को कुल्हाड़ी लेकर आते और गंदी-गंदी गालियां देते देखा था। आरोपी उसकी दुकान पर आया और तख्ते पर बैठकर टंगिया से दो या तीन बार बहुत गुस्से में पीटने लगा। कुछ समय बाद आरोपी अपने घर की ओर चला गया।

10. डॉ. पी.एल. गुप्ता अ. स.12 की गवाही से बिना किसी संदेह के यह स्थापित होता है कि मृतका बुधनी बाई के पिछले हिस्से के पश्चकपाल क्षेत्र के मध्य रेखा पर 3" x 1" x ½" का एक घाव था, जिसके अंदर बड़े रक्त के थक्के थे गहराई नियमित थे। पश्चकपाल हड्डी के नीचे के हिस्से को टुकड़ों में तोड़ दिया गया था, गर्दन के पीछे एक और घाव उपरोक्त घाव से आधा इंच नीचे था, जिसका आकार 3½" x ½" x ½" था, जिसके गहराई नियमित थे। इन घावों के नीचे के सभी चमड़े ऊतक और मांसपेशियां कटी हुई थीं, बड़े रक्त के थक्के मौजूद थे और गहराई नियमित थे। उन्होंने कहा कि ये सभी चोटें गंभीर प्रकृति की थीं, मृत्यु से पहले की और तत्काल मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं और जांच के 48 घंटे के भीतर किसी नुकीली और भारी वस्तु से लगी थीं। उनकी राय में, मृत्यु रक्तस्राव और सदमे के कारण हुई थी, जिसके कारण बेहोशी आ गई और यह हत्या की प्रकृति की थी। यह गवाही संदेह से परे साबित करती है कि बुधनी बाई की मृत्यु हत्या के इरादे से की गई थी।

11. उपनिरीक्षक के.एन. तिवारी अ. स.15 ने अपीलकर्ता के ज्ञापन प्रदर्श पी 10 के आधार पर प्रदर्श पी 11 के माध्यम से अपीलकर्ता से टंगिया की जब्ती साबित की है। न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रदर्श पी 10 की रिपोर्ट से यह साबित होता है कि टंगिया पर खून के धब्बे पाए गए थे।

12. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर समग्रता से विचार करने पर, हम पाते हैं कि यह संदेह से परे साबित हो गया है कि अपीलकर्ता बुधराम ने टंगिया के माध्यम से बुधनी बाई की हत्या की थी। यह सच है कि साक्ष्य में यह सामने आया है कि अपीलकर्ता नशे में था, लेकिन अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शित करता है, अपीलकर्ता को उसकी इच्छा के विरुद्ध शराब पिलाई गई थी ताकि उसे धारा 85 भ.द.स. 1860 के अधीन लाभ मिल सके। साक्ष्य से यह भी स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि अपीलकर्ता अपने कृत्य की प्रकृति को जानने में सक्षम था। बुधनी बाई की हत्या करने के अपने क्रूर कृत्य के लिए अभियुक्त द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जिसमें उसे किसी भी तरह से किसी ने भी उकसाया नहीं था। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से पता चलता है कि अभियुक्त अपीलकर्ता खुयूराम को मारने के लिए गुस्से में था और उसे न पाकर उसने बुधनी बाई को मारने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं की।
13. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, हम इस विचार में पहुंचे है कि अभियोजन पक्ष ने बुधनी बाई की हत्या करने के लिए धारा 302 भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन अपीलकर्ता के अपराध को सभी उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। इसलिए हम धारा 302 भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और उसके अधीन दी गई दण्डादेश की पुष्टि करते हैं।
14. परिणामस्वरूप, अपील निरस्त की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही

श्री फकरुद्दीन

न्यायाधीश

सही

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु अंग्रेजी को ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Nitin Sahu